कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail : pccf-development@gov.in

0651-2481813/ 9304727852

पत्रांक : 01/यो0ब0-09/2020-691 दिनांक : 28.09.2021

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन संरक्षक, कार्य नियोजना अंचल, राँची/ कार्य नियोजना अंचल, हजारीबाग/ कार्य नियोजना अंचल, दुमका (देवघर)/ कार्य नियोजना अंचल, मेदिनीनगर (पलामू)/ कार्य नियोजना अंचल, चाईबासा (जमशेदपुर)/ कार्य नियोजना अंचल, बोकारो/ वन प्रमण्डल पदाधिकारी, प्रचार एवं प्रसार प्रमण्डल, राँची।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वित की जाने वाली "वन कार्यालयों का आधुनिकीकरण एवं सूचना तकनीकी सेवायें" (अन्य व्यय) के अंतर्गत छः जी0आई0स0 सेल का सुदृढ़ीकरण एवं रख-रखाव तथा सी0यू0जी0 नेटवर्क सेवा हेतु बी0एस0एन0एल0 को भुगतान के लिए **रू0 98.662 लाख (अनठानवे लाख छियासठ हजार दो सौ रूपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंगः- विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0-25/2019-11/स्वी0 व0प0 दिनांक 23.09.2021 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 4/यो0ब0-25/2019-30/आ0 व0प0 दिनांक 24.09.2021 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष-101 वन संरक्षण, विकास तथा सम्पोषण, उप शीर्ष-47-वन कार्यालयों का आधुनिकीकरण एवं सूचना तकनीकी सेवायें योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रू0 98.662 लाख (अनठानवे लाख छियासठ हजार दो सौ रूपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता हैः-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S24060110147010103	15.000
कार्यालय व्यय	19S24060110147010317	80.000
आपूर्ति एवं सामग्री	19S24060110147010323	3.662
कुल :-		**98.662**

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य **अनुलग्नक-1** एवं **2** पर द्रष्टव्य है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यो के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक-3** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या-19S24060110147010103, 19S24060110147010317

एवं 19S24060110147010323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक–2561, दिनांक–17.04.1998 एवं समय–समय पर योजना–सह–वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्रों के अनुरुप किया जायेगा।

5. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम–174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा।

7. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची होंगे। जिनके मार्गदर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण एवं तकनीकी पक्षों पर कार्यान्वयन प्रभाग/कार्यान्वयन एजेंसी का मार्गदर्शन किया जाएगा।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जायेगा।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नियमित रुप से राशि का व्यय, समायोजन तथा प्रमंडलीय लेखा में प्रवृष्टि करेंगे। ससमय लेख प्रेषण सुनिश्चित करने की समीक्षा की जायेगी।

10. नियमित निर्धारित अन्तराल पर सभी आवश्यक समीक्षा एवं नियमावली में अंकित बैठकों का आयोजन सक्षम स्तर पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास द्वारा किया जाएगा। यह online video conferencing इत्यादि के माध्यम से भी की जा सकती है।

11. ऐसी कार्यान्वयन एजेन्सी जिनका कार्य संतोषप्रद न हो तथा जहाँ आवश्यक सुधार की आवश्यकता हो, इस संबंधी सूचना इस कार्यालय को दी जाए।

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई duplication अन्य केन्द्रीय/राज्य योजना से नहीं हो, यथा कैम्पा, वन्यप्राणी पर्यावास का समेकित विकास, पलामू व्याघ्र परियोजना, वन अग्नि रोकथाम एवं प्रबंधन योजना, हाथी परियोजना इत्यादि।

13. दो या दो से अधिक स्रोत से प्राप्त धनराशि का भौतिक/वित्तीय व्यौरा स्पष्ट रुप से अंकित रखा जायेगा।

14. (i) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन 100% निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण निर्धारित 100% भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरुप करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा।

(iii) निरीक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड) को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

(iv) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी sub-disbursal से भुगतान ब्यौरा प्राप्त करके उसका सत्यापन कर सकेंगे। मास्टर रोल में बैंक account no. के साथ फोन नम्बर (यथा संभव) भी एकत्र किया जाय।

(v) योजना का ब्यौरा विभागीय पोर्टल पर संधारित किया जाय। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एक स्थाई प्लेटफार्म e-green watch/MGNREGA इत्यादि के पैर्टन पर तैयार करायें।

(vi) सभी भुगतान DBT या सीधे बैंक खाते में श्रमिकों तथा सामग्री आपूर्तिकर्त्ता को किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति मे नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।

(vii) बैंक स्टेटमेंट भी sub-disbursal का साक्ष्य मास्टर रोल/भाउचर के साथ प्राप्त कर लें ताकि नियमित भुगतान की समीक्षा की जा सके। इसका सत्यापन विपत्र पारित करने तथा लेखा समायोजन में किया जाय।

(viii) Income tax (IT)/ Service Tax (GST/VAT)/ Mines Royality के तहत जहाँ at-source कटौती करना है, यह कटौती DDO/sub-disbursal सुनिश्चित करेगें तथा ससमय return जमा करेगें।

15. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

(i) सभी यंत्र-संयत्र, मशीन उपकरण आदि का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए वित्तीय नियमों के अनुपालन पश्चात् मशीन उपकरण एवं सामग्रियों का क्रय e-GEMS से किया जाय।

(ii) वैसे यंत्र-संयत्र एवं मशीन उपकरण जिनका क्रय e-GEMS के माध्यम से नहीं हो सकता है, उनका क्रय निविदा आमंत्रित करके की जाएगी यथा संभव e-tender का पालन किया जाय। ऐसे मामले जहाँ e-tender संभव नहीं है, योजना के नियंत्री पदाधिकारी से विधिवत लिखित अनुमति प्राप्त कर निविदा आमंत्रित किया जाय। निविदा आमंत्रण में CVC की मार्गदर्शिका का पालन किया जाय।

16. COVID-19 के रोकथाम के संबंध में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी का यह दायित्व रहेगा कि जहाँ-जहाँ मजदूरों से कार्य लिया जायेगा उनसे Social distancing तथा उनके मास्क का प्रयोग अनिवार्य रखा जायेगा। हैन्डवास इत्यादि की समुचित व्यवस्था की जाय।

17. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक-1204 दिनांक- 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

18. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास को तुरंत देंगें। निकासी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगें कि योजना में निहित कार्यों का दोहरीकरण न हों।

19. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या–940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक को अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाए।

20. इस योजनांतर्गत वानिकी कार्यों का संपादन विभागीय अधिसूचना संख्या–2371 दिनांक 05.05.2015 में निरुपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जानेवाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं0–2371 दिनांक 05.05.2015 में निरुपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरुप किया जायेगा तथा विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–सह–ज्ञापाक–686, दिनांक–05.02.2016 द्वारा विभाग के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों तथा सेवाओं के लिए गठित Procurement Committee की अनुशंसा के अनुरुप कार्रवाई की जायेगी।

21. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरुप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरुप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेखा/लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

22. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक–3542, दिनांक–19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरुप किया जायेगा ।

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01/यो0ब0–09/2020–691** दिनांक–**28.09.2021**

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य नियोजना, झारखण्ड, राँची/ एनवीस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01/यो0ब0–09/2020–691** दिनांक–**28.09.2021**

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची/ हजारीबाग/देवघर/मेदिनीनगर/जमशेदपुर/बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

F:\2021-22\ANIL\2021-22\Allotment\OA\Modernization & IT\S.O. 11 dt 23.09.2021 (2)\Web GIS, Vehicle & CUG.doc

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कार्य विवरणी	कार्यालय व्यय	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल	अभ्युक्ति
		Cartridge,Printhead, Hard disk & stationery etc. purchase	1.500	0.000	1.500	
		योग :–	**4.620**	**0.000**	**4.620**	
4	वन संरक्षक, कार्य नियोजना अंचल, मेदिनीनगर (पलामू)	Updation/AMC for Arc GIS Software @106436/-	1.120	0.000	1.120	GeM Portal पर वर्तमान में उपलब्ध दर में 5 प्रतिशत वृद्धि कर राशि की गणना की गई ह, जिससे कि मूल्य में बढ़ोतरी होने पर क्रय किये जाने में राशि की कमी न हो।
		AMC of Plotter (Hp design Jet T1700 dr & Hp design Jet T2500) and two workstation	1.700	0.000	1.700	वन संरक्षक द्वारा समर्पित प्रस्ताव के अनुसार।
		Cartridge/Ink of Two plotters, photocopier, printers & stationery etc.purchase	2.000	0.000	2.000	
		योग :–	**4.820**	**0.000**	**4.820**	
5	वन संरक्षक, कार्य नियोजना अंचल, चाईबासा (जमशेदपुर)	Arc GIS - AMC & Upgradation (Standrad) @233640/-	2.460	0.000	2.460	GeM Portal पर वर्तमान में उपलब्ध दर में 5 प्रतिशत वृद्धि कर राशि की गणना की गई है, जिससे कि मूल्य में बढ़ोतरी होने पर क्रय किये जाने में राशि की कमी न हो।
		Erdas Imagine-AMC & Upgradation @671070/-	7.060	0.000	7.060	
		Cartridge,Printhead, Antivirus, Hard disk & stationery etc. purchase	2.000	0.000	2.000	
		AMC of Scanner, Plotter, Workstation, Printer, Monitor	2.500	0.000	2.500	
		योग :–	**14.020**	**0.000**	**14.020**	
6	वन संरक्षक, कार्य नियोजना अंचल, बोकारो	Arc GIS Advanced AMC/ updation @462056/-	4.852	0.000	4.852	GeM Portal पर वर्तमान में उपलब्ध दर में 5 प्रतिशत वृद्धि कर राशि की गणना की गई है, जिससे कि मूल्य में बढ़ोतरी होने पर क्रय किये जाने में राशि की कमी न हो।
		AMC of UPS Inverter/UPS Richo Printer/Work Station /Plotter/ Scanner etc.	3.250	0.000	3.250	वन संरक्षक द्वारा समर्पित प्रस्ताव के अनुसार।
		Cartridge,Printhead, Hard disk & stationery etc. purchase	2.500	0.000	2.500	
		योग :–	**10.602**	**0.000**	**10.602**	
		सकल योग :–	**80.000**	**3.662**	**83.662**	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

F:\2021-22\ANIL\2021-22\Allotment\OA\Modernization & IT\S.O. 11 dt 23.09.2021 (2)\Scheme

अनुलग्नक—

वित्तीय वर्ष 2020—21 में कार्यान्वित की जाने वाली "वन कार्यालयों का आधुनिकीकरण एवं सूचना तकनीकी सेवायें" योजना (अन्य व्यय) अन्तर्गत वन संरक्षक, कार्य नियोजना अंचल, राँची/ हजारीबाग/बोकारो/ मेदिनीनगर/ देवघर/ चाईबासा (जमशेदपुर) स्थित GIS Cell के सुदृढ़ीकरण एवं वन मानचित्रों के Digitization, Data Upgradation और रख—रखाव का उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्र0 सं0	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कार्य विवरणी	कार्यालय व्यय	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल	अभ्युक्ति
1	वन संरक्षक, कार्य नियोजना अंचल, राँची	Arc GIS - AMC & Upgradation (2 Basic @106436/- +1 Standard @233640/-)	6.700	0.000	6.700	GeM Portal पर वर्तमान में उपलब्ध दर में 5 प्रतिशत वृद्धि कर राशि की गणना की गई है, जिससे कि मूल्य में बढ़ोतरी होने पर क्रय किये जाने में राशि की कमी न हो।
		Erdas Imagine-AMC & Upgradation @671070/-	7.060	0.000	7.060	
		Cartridge,Printhead, Hard disk & stationery etc. purchase	3.000	0.000	3.000	
		AMC of Scanner, Plotter, Workstation, Printer, Monitor	3.100	0.000	3.100	
		Purchase of Forest Cover Map for theYear 2021	0.500	0.000	0.500	वन संरक्षक द्वारा समर्पित प्रस्ताव के अनुसार।
		Purchase of Forest Type Map for theYear 2020	0.500	0.000	0.500	
		झारखण्ड राज्य में काष्ठ आधारित उद्योगों के विनियम हेतु काष्ट की माँग, आपूर्ति एवं विपणन के आकलन/अध्ययन हेतु M/S N.H. Consulting Pvt. Ltd को भुगतान	7.312	3.662	10.974	
		योग :—	**28.172**	**3.662**	**31.834**	
2	वन संरक्षक, कार्य नियोजना अंचल, हजारीबाग	Cartridge/DVD/CD/HDD/ Digital Simplex Photo Copier पेपर स्टेशनरी इत्यादि का क्रय	2.500	0.000	2.500	
		AMC Workstation/Plotter/Scanner/ UPS etc.	2.500	0.000	2.500	
		AMC for Arc GIS (ESRI) software updation+upgradation of two licence (210000+18%GST i.e.37800=247800x2 licence 495600)	4.956	0.000	4.956	वन संरक्षक द्वारा समर्पित प्रस्ताव के अनुसार।
		Purchase of New Topo Sheets of Hazaribagh Region.	0.500	0.000	0.500	
		LAN Network Setup in GIS Cell HZB	0.250	0.000	0.250	
		Upgradation of ERDAS Imagine 01 unit @671070/-	7.060	0.000	7.060	GeM Portal पर वर्तमान में उपलब्ध दर में 5 प्रतिशत वृद्धि कर राशि की गणना की गई है, जिससे कि मूल्य में बढ़ोतरी होने पर क्रय किये जाने में राशि की कमी न हो।
		योग :—	**17.766**	**0.000**	**17.766**	
3	वन संरक्षक, कार्य नियोजना अंचल, दुमका (देवघर)	AMC of Scanner, Plotter and Workstation etc.	2.000	0.000	2.000	
		Updation/AMC for Arc GIS Software @106436/-	1.120	0.000	1.120	GeM Portal पर वर्तमान में उपलब्ध दर में 5 प्रतिशत वृद्धि कर राशि की गणना की गई है, जिससे कि मूल्य में बढ़ोतरी होने पर क्रय किये जाने में राशि की कमी न हो।

अनुलग्नक–2

वित्तीय वर्ष 2021–22 में कार्यान्वित की जाने वाली "वन कार्यालयों का आधुनिकीकरण एवं सूचना तकनीकी सेवायें" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत सी0यू0जी0 नेटवर्क सेवा हेतु बी0एस0एन0एल0 को भुगतान हेतु उप आवंटित राशि

(राशि रूपये में)

क्र0 सं0	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कार्य विवरणी	मजदूरी	कुल
i	ii	iii	iv	v
1	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, प्रचार एवं प्रसार प्रमण्डल, राँची	एक वर्ष के लिए सी0यू0जी0 नेटवर्क के अंतर्गत मोबाईल फोन के संचालन हेतु बी0एस0एन0एल0 को भुगतान हेतु आवश्यक राशि	15.000	15.000
		योग :–	**15.000**	**15.000**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 मे व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-09/2020/691

दिनांक - 28-Sep-2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 24060110147010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 47 - वन कार्यालयों का आधुनिकिकरण एवं सूचना तकनीकी सेवायें 01-वन कार्यालयों का आधुनिकिकरण एवं सूचना तकनीकी सेवायें 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	48177	DRNFWL065 SRI TARAKNATH DFO.FOREST PUBICITY 03 - मजदूरी	1,500,000.00 रुपये पंद्रह लाख
2	S 19 24060110147010317 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 47 - वन कार्यालयों का आधुनिकिकरण एवं सूचना तकनीकी सेवायें 01-वन कार्यालयों का आधुनिकिकरण एवं सूचना तकनीकी सेवायें 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	48179	DRNFWL019 SMT. SMITHA PANKAJ IFS CF.WORKING PLAN CIRCLE RANCHI 17 - कार्यालय उपकरण	2,817,200.00 रुपये अठाइस लाख स त्र ह हजार दो सौ
3	S 19 24060110147010317 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 47 - वन कार्यालयों का आधुनिकिकरण एवं सूचना तकनीकी सेवायें 01-वन कार्यालयों का आधुनिकिकरण एवं सूचना तकनीकी सेवायें 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	48180	HZBFWL006 SOURAV CHANDRA CONSERVATOR OF FOREST W.P. 17 - कार्यालय उपकरण	1,776,600.00 रुपये स त्र ह लाख छहत्तर हजार छः सौ

योग: रुपये साहठ लाख तिरनावे हजार आठ सौ — 6,093,800.00

क्रमिक योग:

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV. JHARKHAND
RANCHI

59.97.146.236

Run Date 29.9.2021

पत्र संख्या - 01/YB-09/2020/691 दिनांक - 28-Sep-2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 24060110147010317 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 47 - वन कार्यालयों का आधुनिकिकरण एवं सूचना तकनीकी सेवायें 01-वन कार्यालयों का आधुनिकिकरण एवं सूचना तकनीकी सेवायें 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	48181	DGRFORE97 SATISH CHANDRA RAI CONSER.OF FOR.WOR.PLA.CIR.DU M. 17 - कार्यालय उपकरण	462,000.00 रुपये चार लाख बासठ हजार
5	S 19 24060110147010317 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 47 - वन कार्यालयों का आधुनिकिकरण एवं सूचना तकनीकी सेवायें 01-वन कार्यालयों का आधुनिकिकरण एवं सूचना तकनीकी सेवायें 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	48183	PLMFOR031 DILEEP KUMAR YADAV IFS C F WORKING PLAN CIRCLE DTG 17 - कार्यालय उपकरण	482,000.00 रुपये चार लाख बयासी हजार
6	S 19 24060110147010317 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 47 - वन कार्यालयों का आधुनिकिकरण एवं सूचना तकनीकी सेवायें 01-वन कार्यालयों का आधुनिकिकरण एवं सूचना तकनीकी सेवायें 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	48184	JSRFOR134 JABBER SINGH (I.F.S) C.F.WORK PLAN CIR.CHAIBASA JSR 17 - कार्यालय उपकरण	1,402,000.00 रुपये चौदह लाख दो हजार

योग: 2,346,000.00

क्रमिक योग: रुपये चौरासी लाख उनचालीस हजार आठ सौ 8,439,800.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV JHARKHAND
RANCHI

 59.97.146.236 Run Date: 28/9/2021

पत्र संख्या - 01/YB-09/2020/691 दिनांक - 28-Sep-2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 24060110147010317 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 47 - वन कार्यालयों का आधुनिकिकरण एवं सूचना तकनीकी सेवायें 01-वन कार्यालयों का आधुनिकिकरण एवं सूचना तकनीकी सेवायें 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	48185	BKRFOR014 SRI D VENKATESWARLU CONSERVATOR OF FOREST, W P C 17 - कार्यालय उपकरण	1,060,200.00 रुपये दस लाख साहठ हजार दो सौ
8	S 19 24060110147010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 47 - वन कार्यालयों का आधुनिकिकरण एवं सूचना तकनीकी सेवायें 01-वन कार्यालयों का आधुनिकिकरण एवं सूचना तकनीकी सेवायें 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	48187	DRNFWL019 SMT. SMITHA PANKAJ IFS CF.WORKING PLAN CIRCLE RANCHI 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	366,200.00 रुपये तीन लाख छाछठ हजार दो सौ

योग: रुपये अठानवे लाख छाछठ हजार दो सौ 1,426,400.00

क्रमिक योग: 9,866,200.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV JHARKHAND
RANCH

 59.97.146.236 Run Date : 28/9/2021